संख्या:114/2026/611/35-4-2026/35-4002(003)/49/2026

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ; दिनांक: 31 मार्च,2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2025-26 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-523/त्व0आ0वि0यो0/2025-26 दिनांक 25 मार्च, 2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत जनपद-लखनऊ में निम्नलिखित तालिका में इंगित कार्यों की रू. **10029.52** लाख (रूपये **सौ करोड़ उन्तीस लाख बावन हज़ार** मात्र जी0एस0टी0 सहित) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. **3000.00** लाख (रूपये **तीस करोड़** मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर निम्नांकित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। इन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग होगी:-

(लाख रू. में)

क्र.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0)	अनुमोदित लागत
1	भवानीगंज वार्ड के अन्तर्गत मोहल्ला मेंहदीगंज छोटे चैराहे से होते हुए इन्दर वाली मस्जिद तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.30	45.88
2	भवानीगंज वार्ड के अन्तर्गत मोहल्ला मेंहदीगंज सलीम की दुकान से होते हुए मेराज के होटल तक सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.33	50.66
3	मा0 वैष्णौ देवी मन्दिर (सोनापुरम कालोनी में) से हीरा विहार कालोनी आन्तरिक गलियां एवं सरीपुरा कालोनी मोहान रोड आलमनगर तक निर्माण कार्य।	0.32	98.75

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

4	सआदतगंज वार्ड के अन्तर्गत खिन्नी चैराहे से ईरम स्कूल होते हुए हबीबपुर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.18	120.30
5	न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कुंदन विहार में सिद्धेश्वर मंदिर से मिश्रा जी के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.52	67.35
6	न्यू हैदरगंज-2 वार्ड अन्तर्गत मोहल्ला प्रकाशनगर बीबीखेड़ा में भुइयन माता मन्दिर से गगाराम के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण	0.44	59.37
7	न्यू हैदरगंज द्वितीय वार्ड अन्तर्गत मैकू विहार में बिजली के बड़े पोल से होते हुए शिव नारायण के मकान होते हुए पंडित जी के मकान होते हुए रोड तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.43	40.73
8	श्यामविहार में बिजली के बड़े पोल से मेन लखनऊ सिटी तक कच्ची सड़क का आर.सी.सी. व नाली का निर्माण कार्य।	0.37	42.77
9	हंसखेड़ा के मुख्य मार्ग से राम विलास के मकान होते हुए अशोक यादव के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.42	44.98
10	ब्रम्हदेव मन्दिर से राजकुमार के मकान तक एक कनेक्टिंग गली सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.15	102.79
11	नरपतखेड़ा में लालेश्वर मन्दिर से अवनीश मिश्रा के मकान होते हुए त्रिभुवन उपाध्याय व प्रताप नारायण तिवारी के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.50	93.79
12	गणपति विहार में आर0एम0 एकेडमी से रिया अरोड़ा के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.53	73.59
13	रामकृपाल नगर में मन्दिर से सुधाकर प्रसाद सिंह के मकान होते हुए जय माँ जनरल स्टोर और यदुवंषी भवन होते हुए शिवम मिश्रा के मकान तक तक निर्माण कार्य।	1.12	150.38
14	मुन्नूखेड़ा में ब्रम्हदेव मन्दिर से अम्बे सिटी, मंगल सिंह, समीर, बगिया, डा0 राजेश्वर,होते हुए राजेश के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.97	139.92

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

15	चुन्नूखेड़ा में राजेश यादव के मकान से ममता गंगवार, विनोद मौय के मकान होते हुए संतोश सिंह के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.53	80.35
16	चन्नू खेड़ा में हंसखेड़ा कृष्णानगर मार्ग होते हुए आसरा कालोनी तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.47	93.27
17	सुरेन्द्र विहार फेस-2 में विशाल सिंह मे मकान से हितेन्द्र वासनी के मकान से आगे संजय सिंह मे मकान होते हुए स्वरा तिवारी, राकेश यादव, संदीप पटेल के घर होते हुए आर0के0 पाण्डेय के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	1.04	104.43
18	गोविन्द नगर में हैप्पी किड्स स्कूल के सामने अनीता तिवारी के मकान से होते हुए अवलदार के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.61	70.26
19	न्यू हैदरगंज तृतीय अन्तर्गत गोविन्द नगर फेज-2 में दिनेश टिम्बर से राघवेन्द्र भारद्वाज के मकान होते हुए विश्वकर्मा जी के घर से आगे तक एव लेखपाल के घर से ओ0पी0 यादव के मकान से वर्मा जनरल स्टोर से पहले अशोक मोदी के घर तक सड़क व नाली निर्माण।	0.64	90.13
20	न्यू हैदरगंज तृतीय वार्ड के अन्तर्गत चुन्नू खेड़ा में राजवीर सिंह यादव के मकान से डी.एन. यादव के मकान सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.51	66.35
21	छंदोइया खेड़ा की मलिन बस्ती में सड़क एवं नाली निर्माण कार्य ।	0.67	57.46
22	सरफराजगंज की क्षतिग्रस्त आन्तरिक गलियो एवं नालियों का निर्माण कार्य डामरीकरण या इण्टरलाकिंग सड़क पटरी इण्टरलाॅकिंग निर्माण कार्य।	0.51	57.42
23	एकता नगर गोविन्दपुरम में गोविन्देश्वर महादेव मन्दिर से फौजी के घर होते हुए व उमेश सिंह के घर होते हुए पं0 लक्ष्मी नारायण मन्दिर तक आन्तरिक गलियों का निर्माण कार्य।	0.51	59.23
24	कन्हैया माधवपुर प्रथम वार्ड के अन्तर्गत हरदोई रोड बसंत विहार गेट से मोड़ होते हुए देवेन्द्र प्रताप के मकान सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.96	147.02

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

25	कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अवध एन्क्लेव में लालू की दुकान से अमन कालोनी होते हुए विशाल सिटी में राजा जनरल स्टोर की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.88	130.21
26	कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत बेगरिया लिंक मार्ग से मुक्का रावत और सुनील कुमार के घर होते हुए नाला होते हुए भुईंयन देवी मंदिर की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.47	57.25
27	कन्हैया माधवपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत दौलत खेड़ा चैराहे से दशरथ के मकान होते हुए भुईंयन देवी मंदिर की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.74	89.47
28	माधवपुर पुलिया से नैनीताल माडल स्कूल होते हुए फरीदपुर पुलिया तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.40	70.30
29	बेगरिया लिंक रोड से सुनील कुमार मौर्य के मकान होते हुए लाल के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.40	51.95
30	कुमारपुरम में पानी की टंकी से बैरिस्टर सिंह एवं अनमोल के मकान होते हुए शायरा बानों के मकान से आग कलावती के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.35	37.53
31	कुमार पुरम में मनोज के मकान से विजय मिश्रा के मकान होते हुए कल्लू के मकान के आगे तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.39	41.25
32	वैष्णव विहार में पारा कोतवाली के सामने तिकोनिया मार्ग से छनहेर खेड़ा पुलिया तक (कच्ची) नहर पट्टी मार्ग का निर्माण कार्य	2.00	152.12
33	पारागंज काम्पलेक्स से पूर्वीदीन खेड़ा मेन हाइवे तक मार्ग का निर्माण कार्य।	1.35	122.83
34	पारा रामलीला के सामने रमजान, प्रसाद पासी के घर से नन्देश्वर महादेव मन्दिर तक मार्ग का निर्माण।	0.80	137.24

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

35	कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत एफ ब्लाक चैराहे से जया शुक्ला के मकान के सामने यादव चक्की तक एवं जया शुक्ला के मकान के सामने से राजधानी स्कूल की ओर सड़क, साइड पटरी व नाली निर्माण कार्य।	0.91	73.27
36	कुंवर ज्योति प्रसाद वार्ड के अन्तर्गत खिन्नी चैराहा से पंडित दीनदयाल डिग्री कालेज की बाउंड्री तक तथा संकट हरण मंदिर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.35	54.24
37	आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड के अन्तर्गत माली खां सराह चैराहे से तोप दरवाजा कूड़ा घर तक डामरीकरण सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.00	255.27
38	राजाजीपुरम वार्ड के अन्तर्गत संचेतना फाइनेंस से सी 343/1 होते हुए सी 373 तथा बी 244 की ओर सड़क, साइड पटरी व नाली निर्माण कार्य।	0.98	109.37
39	कल्याण सिंह वार्ड के सरोसा भरोसा पावर हाउस के सामने से भरोसा गांव में अरुण पुत्र बाबूलाल के घर तक सड़क का डामरीकरण द्वारा निर्माण	0.70	74.44
40	जनता बिहार में कुलदीप सिंह के मकान से पिपलेश्वर महादेव मन्दिर आदर्श विहार तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.00	150.61
41	शाहपुर भमरौली से होते हुए ग्राम दशहरी होते हुए ब्लाक काकोरी को जो खडंजा तक डामरीकरण कार्य।	1.10	83.91
42	लालजी टण्डन वार्ड अन्तर्गत सेंट क्लेयर कान्वेन्ट स्कूल हरदोई रोड के सामने की गली का ओर सी.सी. निर्माण कार्य।	0.19	28.68
43	मा. लालजी टण्डन वार्ड के अन्तर्गत जेहटा मुख्य मार्ग से हयातनगर गांव की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.90	85.77
44	शीतला देवी वार्ड के अन्तर्गत नौबस्ता में नौबस्ता पुलिया से शनि देव मन्दिर की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.49	59.75
45	सआदतगंज चैराहे से साहू तेल मिल होते हुए चबूतरा होते हुए घण्टापीर गढ़ैया भोलेश्वर मन्दिर होते हुए दरगाह तक आर.सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.20	106.38

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

46	कन्हैया माधोपुर द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत दुबग्गा में मुकेश के घर से पाल दूध डेयरी तक सड़क निर्माण कार्य।	0.60	65.33
47	दीपिका दुबे के मकान से प्रधान मैजि हाल तक निर्माण कार्य।	0.25	37.82
48	सेक्टर आई में राजेश गोयल के मकान नं. 51 से एलडीए स्टेडियम होते हुए गणपति जनरल स्टोर की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.71	79.22
49	सेक्टर आई अलीगंज में मकान नं. सी-68 से एल-6/9 की ओर साइड पटरी इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.30	57.69
50	वसंत विहार कालोनी में भुईंयन माता मंदिर के पास से बेरी होटल मुख्य मार्ग होते हुए दिलीप मिश्रा के मकान होते हुए प्रमोद शुक्ला होते हुए विनोद शुक्ला के मकान होते हुए सिटी कान्वेंट स्कूल की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.44	42.60
51	हरिओम नगर में निखिल शर्मा के मकान के सामने एवं अखिलेश श्रीवास्तव के मकान के सामने व अनुराग चैधरी के घर होते हुए विष्णु पाल के मकान की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.30	35.20
52	सीता विहार कालोनी में मौली जनरल स्टोर से महात्मा बुद्ध इण्टर कालेज के सामने की सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.68	92.82
53	सेंट एथोनी स्कूल के बगल आरोमेटिक क्लासेज से नारायणी गेस्ट हाउस तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.28	41.21
54	मड़ियांव गांव का मुख्य मार्ग वर्मा चैराहे से सहारा गेट नं0-2 तक सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.45	57.73
55	जानकीपुरम प्रथम नहर रोड से विनीत शुक्ला की मार्केट से के0पी0 सिंह जी के घर तक सी.सी. रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.50	78.50
56	जानकीपुरम प्रथम वार्ड के अन्तर्गत पंचवटी कालोनी से मड़ियांव गांव मौर्या चक्की तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.67	127.15

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

57	जानकीपुरम प्रथम वार्ड के अन्तर्गत सीता विहार कालोनी का मुख्य मार्ग सैनिक ट्रेडर्स से मंगलम कालोनी तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.60	107.17
58	चिनहट प्रथम वार्ड अन्तर्गत विनीत खण्ड 1, 2, 3, 4, में खराब सड़क नाली व साइट पट्री निर्माण कार्य।	2.01	231.23
59	विवेक खण्ड-1, गोमतीनगर में भवन सं0 1/147 से 1/120 एवं 1/34 से 1/100 तक सड़क एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.40	39.44
60	विधान सभा पूर्व अन्तर्गत शंकरपुरवा-3 में कल्याण मण्डल विकास नगर सेक्टर-8 के पीछे 8/88, से 8/71, 8/51 डा0 राजेशेखर के मकान से 8/596 राजकुमार के मकान की ओर सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.60	85.83
61	जानकीपुरम द्वितीय के जानकीपुरम गार्डेन में सौमित्र वर्मा के म0सं0 645-बी/आई.पी. 35 से बालकराम मन्दिर होते हुए अशर्फीलाल सरोज के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माणं	0.36	59.46
62	राधा माधव सोसाइटी ब्लाक-बी, ब्लाक-सी, व डी व एम.एस. के मकान तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.45	84.57
63	मौर्य नगर से एल.एस. सिसौदिया के मकान होते हुए सताक्षी इण्टरप्राइजेज तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.19	36.75
64	नहर रोड जे0पी0 हास्पिटल के बगल से अशोक कुमार विश्वकर्मा के घर तक गलियां आर.सी.सी. द्वारा निर्माण।	0.55	89.12
65	चाधरी पुरवा गांव से चंदा आई.टी.आई. तक सड़क निर्माण	0.43	76.05
66	वसुंधरा गडेरियनपुरवा से संदीप लोधी के घर होते हुए बृजेश के घर होते हुए डी0एच-2 के गेट तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.74	102.48
67	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत केशव नगर-2 में अवस्थी जी के मकान से बेल बगिया की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.47	66.97
68	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत अम्बर विहार में अम्मा जी के मकान से रामकुमार मिश्रा जी के मकान के सामने से निगम जी के सामने अवधेश गुप्ता के पास से जुगुल विहार होते हुए फैजुल्लागंज रोड तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.46	76.03

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

69	विधान सभा पूर्व अन्तर्गत लोहिया नगर वार्ड में भवन सं0 4/22 जय मां कृपा जनरल स्टोर से पानी की टंकी सेक्टर-4 विकास नगर मोड़ की ओर आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.60	72.21
70	विवेक खण्ड-3 गोमती नगर में टेंट हाउस से भवन संख्या-3/334 होते हुए विनायक पार्क के चारों तरफ एवं राजधानी नगर सहकारी बैंक के सामने तक ध्वस्त सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.53	42.39
71	धर्मगुरू हमीदुलहसन के घर के सामने इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	0.09	7.98
72	फैजुल्लागंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत केशव नगर में अवस्थी जी के मकान से राजकमल यादव के मकान के आगे तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.49	61.99
73	नयापुरवा गांव के निकट बी0जे0 स्टार पैलेस एवं केशवनगर में श्री गणेश सिंह के घर से राधेश्याम प्रजापति के घर तक आर.सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण एवं कृष्णलोक कालोनी में डा0 उमाशंकर राठौर के घर से डा0 खान के घर तक निर्माण कार्य।	0.75	154.23
74	डुडौली मन्दिर के पास एस0एस0 तिवारी के मकान से श्री राघवेन्द्र सल्लू प्रजापति, अशोक मास्टर, अशोक चैरसिया के मकान के आसपास की रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.43	58.49
75	एकता स्कूल के पास कुमार जनरल स्टोर से रामचन्द्र कटियार से प्रजापति टावर एवं दाउद नगर में विश्वास मिश्रा के घर से ज्योति कश्यप के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.54	58.89
76	फैजुल्लागंज चतुर्थ में दिनेश बोरिंग वाले के घर से इन्वेंशन स्कूल तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.40	55.31
77	मामा कालोनी में मंजू तिवारी के घर से अवस्थी के मकान होते हुए नरेन्द्र के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण।	0.50	65.58

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

78	आर0के0 पुरम में 60 फिटा रोड पर मुक्तेश्वर महादेव मन्दिर से नीरज बाजपेयी के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.61	87.47
79	शिवशक्ति नगर में गोपी के मकान से अजय पाल के घर एवं देवेन्द्र सिंह के घर होते हुए छोटू शुक्ला के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.50	73.40
80	ब्राईट-वे स्कूल से पूर्व पार्षद मूबशरा सगीर खान के घर होते हुए सीतापुर रोड तक इण्टरलाॅकिंग सड़क एवं नालियों का सुधार कार्य।	0.21	17.63
81	फैजुल्लागंज प्रथम वार्ड के महर्षि नगर कालोनी में म0सं0 7, अनिल कुमार मिश्र के निवास से म0सं0 616पी/03 राजेश कुमार सिंह के निवास तक (कच्ची सड़क) सड़क एवं नाली निर्माण	0.18	26.45
82	जानकीपुरम द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत रामेश्वर पैलेस से जानकी विश्वनाथ मंदिर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.50	90.04
83	जानकीपरम विस्तार में पिंक सिटी मिर्जापुर में सुश्री सुभरा दास के घर से ए.के.टी.यू की बाउन्डरी वाल तक (362 से प्लाट नं0-1 तक) नाली का निर्माण कार्य।	0.22	42.15
84	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के अन्तर्गत रेनबो पब्लिक स्कूल के सामने से गणेश स्टील, कृष्ण प्रताप सिंह के मकान के पास से सीता राम मंदिर होते हुए अंग्रेज फार्म हाउस चैराहे की ओर आरसीसी सड़क, साइड इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.85	182.80
85	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के अन्तर्गत नेहरू विहार सकट्टे का पुरवा कल्याणपुर में कमला नेहरू मार्केट से अभिषेक श्रीवास्तव के मकान हरीश चन्द्र बिष्ट से जायसवाल जनरल स्टोर होते हुए प्रभुनाथ प्रजापति के मकान की ओर आरसीसी सड़क, साइड इण्टरलाकिंग व नाली निर्माण कार्य।	0.47	70.73
86	शंकरपुरवा प्रथम वार्ड के अन्तर्गत गणेश विहार कालोनी में उमेश सिसौदिया के मकान से प्रधानमंत्री आवास होते हुए संतोष शर्मा के मकान होते हुए रामजी शुक्ला के मकान तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	0.56	91.49

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

87	शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड अन्तर्गत आलोक दुबे मार्ग में राधेय एजेन्सी से आदिलनगर गांव की ओर डामर रोड व नाली निर्माण कार्य।	1.10	158.95
88	शंकरपुरवा द्वितीय वार्ड अन्तर्गत राम धर्म कांटा से प्रेसीडेंसी स्कूल की ओर डामर रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.82	119.77
89	शंकरपुरवा तृतीय वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर-13 विकास नगर में अभिनंदन पार्क तथा टंकी वाला पार्क के चारों तरफ व उससे लगी लिंक रोड सड़क व नाली निर्माण कार्य।	1.67	174.14
90	शंकरपुरवा तृतीय वार्ड के अन्तर्गत विकासनगर में राम चंदू के आवास से 7/9 साहब जी धरोहर के आवास तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.52	60.34
91	इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के अन्तर्गत जरहरा गांव के पूर्व में तालाब के पास महेन्द्र सिंह के घर से राजेश के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.60	314.42
92	इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के अन्तर्गत मानस ग्रीन में महादेव मंदिर से विजय पन्त के मकान तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	1.05	115.68
93	इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के अन्तर्गत मानस ग्रीन में अमन वर्मा के मकान से विद्या सिंह के मकान तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	1.15	166.16
94	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत लेबर अड्डे से मछली मंडी तक एवं प्रीति नगर की संलग्न गलियों की ओर सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.87	98.31
95	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत कमता मुख्य मार्ग से ज्ञान विहार कालोनी से पी.सी. ओझा के घर से होते हुए वी.पी. तिवारी के घर होते हुए हवलदार किशन के घर से हिमांशु के घर तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.74	91.08
96	इस्माइलगंज द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत सनातन नगर में राम सिंह आटा चक्की से शिव मंदिर होते हुए वासुदेव डिग्री कालेज मुख्य मार्ग तक सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.70	64.01
97	लोहिया नगर वार्ड के अन्तर्गत सदाकान्त शुक्ला के आवास से कुर्सी रोड तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	0.77	110.75

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

98	लोहिया नगर वार्ड के अन्तर्गत मामा चोराहे से लेकर सन् अपार्टमेंट होते हुए अजीत रेजीडेंसी होते हुए शंकर जी की मूर्ति तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	1.00	145.32
99	लाल बहादुर शास्त्री द्वितीय वार्ड के अन्तर्गत मकान नं. ए 1335/1 से ए 1337 से 1327/10 तक डामरीकरण व नाली निर्माण कार्य।	0.30	25.53
100	विवेकानन्द पुरी वार्ड के अन्तर्गत अजय पाण्डेय के घर से वैद्य पार्क होते हुए गोल्डेन सेलिब्रेशन तक कार्य व नाली निर्माण।	1.00	100.81
101	विवेकानन्द पुरी वार्ड के अन्तर्गत हुण्डई शोरूम से यादव भवन होते हुए स्टार मोटर्स तक नाली निर्माण।	0.65	32.78
102	बाबू जगजीवन राम वार्ड के अन्तर्गत सेक्टर 25 चैराहे से शेरवुड कालेज के आगे चैराहे तक पेवर कार्य व नाली निर्माण कार्य।	0.70	61.53
103	इंदिरा प्रियदर्शिनी वार्ड के अन्तर्गत श्री शिव कुमार कनौजिया पुत्र स्व. श्री धनीराम कनौजिया, निवासी विवेकानन्द पुरी कालोनी नियर बचपन प्ले स्कूल सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.15	20.27
104	मायापुरी कालोनी में हरि सिंह के मकान से द्विवेदी जी, सतीश शुक्ला आदित्य सिंह के मकान होते हुए रुचि यादव के मकान इण्टरलाकिंग/ आर.सी.सी. सड़क एवं नाली निर्माण।	0.42	51.55
105	मायापुरी कालोनी मे गिरी जनरल स्टोर से रवि शंकर के मकान एवं गौरी गणेश मन्दिर तक सड़क एवं नाली मिर्नाण	0.63	78.13
106	प्रमोद सिंह के प्लाट से रैन बसेरा तक आर0सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण	0.55	125.96
107	विकास नगर से0-14 आर.एल.बी. स्कूल के समीप कैप्टन मनोज श्रीवास्तव के आवास के सामने स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.13	10.33
108	विकास नगर से0-14 आर.एल.बी. स्कूल के पीछे स्थित सम्पूर्ण क्षेत्र में सड़क किनारे साइड पटरी इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण	0.60	52.42

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

	कार्य ।		
109	लोहियानगर वार्ड के अंतर्गत विकास अपार्टमेंट सेक्टर-6 से आरएलबी स्कूल होते हुए पुर्वांचल कैफे तक लगभग 500 मी0 सड़क, साइड पटरी इंटरलाकिंग एवं नाली का निर्माण कार्य।	0.50	115.25
110	लोहियानगर वार्ड के अंतर्गत सेक्टर 1 स्थित मै कालोनी में आरसीसी रोड का निर्माण कार्य।	0.85	88.39
111	लोहियानगर वार्ड के अंतर्गत सेक्टर 4 स्थित मै कालोनी में आरसीसी रोड का निर्माण कार्य।	0.80	61.63
112	विवेकखण्ड-3 स्थित जानबास्को स्कूल एवं पूजा पार्क के चारों तरफ क्षतिग्रस्त आा.सी.सी. सड़क व नाली निर्माण कार्य।	0.90	86.94
113	नेहरू इन्क्लेव पेट्रोलियम आफिस से आर्यन होटल तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	1.10	259.54
114	जुगौली गांव में सोनू यादव के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.44	33.96
115	विरामखण्ड-5 की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य।	2.90	178.89
116	इस्माईलगंज द्वितीय वार्ड के ग्राम-कमता में लालसिंह यादव के घर से डी.के. गौर के घर होते हुए सविता सिंह के घर तक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	0.19	20.80
117	मोहल्ला करेहटा की आन्तरिक गलियों का सी.सी. द्वारा सुधार कार्य।	0.41	47.26
	योग:		**10029.52**

1. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके निमित्त स्वीकृत की गयी है तथा किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा एवं व्यय स्वीकृत धनराशि तक सीमित रखा जायेगा।
2. प्रदेश की राजकीय कार्यदायी संस्थाओं को सेंटेज चार्ज वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-7/10-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मार्च, 2023 के अनुसार देय होगा। योजनान्तर्गत कंटीजेंसी अनुमन्य नहीं है।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इस हेतु राज्य सरकार, केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं हुई है और न ही यह कार्य किसी अन्य परियोजना/योजना के अंतर्गत अनुमोदित कार्य योजना में सम्मिलित है।
4. निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने के पूर्व स्थलीय निरीक्षण के उपरांत वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार विस्तृत आगणन तैयार करते हुए कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जायेगी। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।
5. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-10/2021/बी-2-96/दस-2021-10/99 दिनाँक 22 मार्च, 2021 के अनुसार प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति की लागत 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो रही है, तो प्रायोजना का पुनरीक्षण आगणन का गठन करते हुए 3 माह के भीतर पुनरीक्षित आगणन पर अनुमोदन प्राप्त किया जाये।
6. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17 (4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जाये। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके।
7. समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
8. प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0 की धनराशि सम्मिलित है। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार जी0एस0टी0 का भुगतान सुनिश्चित कराया जाय। प्रायोजना के निर्माण कार्यों में वास्तविक खपत (CONSUMED)हुई मुख्य सामग्री (सीमेन्ट / स्टील / ग्रिट/मोरम इत्यादि) की मात्राओं का अनुपातिक मानक मिलान करते हुए जी0एस0टी0 का भुगतान किया जाये। जी०एस०टी० के सम्बन्ध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8 के शासनादेश सं0-2/2022/ई-8-202/दस-2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. परियोजना की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना हेतु जनपद स्तर पर कार्यकारी आदेश निर्गत करने जिसे पूर्व जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
10. कार्य का निर्माण, लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। कार्य निर्धारित समय-सीमा अवधि में ही पूर्ण कर लिया जाये तथा भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा। कार्य के लागत आगणन में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जैसे मार्ग की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

11. कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति की समीक्षा सी०एम०आई०एस० पोर्टल पर जिलाधिकारी द्वारा नियमित रूप से की जायेगी। व्यय/प्रगति सम्बंधी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी का होगा और उनके द्वारा स्वीकृत कार्य की भौतिक/वित्तीय प्रगति का विवरण नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
13. त्वरित आर्थिक विकास योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों से संबंधित शासनादेश संख्या-29/2018/1084/35-4-2018 दिनांक 24 सितम्बर, 2018 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
14. प्रश्नगत निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार किये जायेंगे।
15. ई-टेण्डरिंग/ई-प्रोक्योरमेण्ट प्रणाली लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1067/78-2-2017-42आईटी/2017 दिनांक 12 मई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-1107/78-2-2017-42आईटी /2017 दिनांक 12 मई, 2017 एवं तदविषयक शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
16. परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनश्चित किया जायेगा।
17. जिलाधिकारी द्वारा निर्माण कार्य को प्रारम्भ कराने के लिए स्वीकृत आगणन के अनुसार उक्त कार्य हेतु अधिकृत कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।
18. अपेक्षित औपचारिकतायें पूर्ण कर जिलाधिकारी द्वारा कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को अवश्य उपलब्ध करा दी जायेगी।
19. परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया/राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही रखा जाय और यदि धनराशि पर कोई ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।
20. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।
21. स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2026 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे 31 मार्च, 2026 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन अनुभाग-4 को 31 मार्च, 2026 तक प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
22. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2026 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

23. कार्य स्थल पर त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने के तथ्य के साथ-साथ मुख्य विवरण शिला पट्टिका/बोर्ड के रूप में जन-साधारण की जानकारी हेतु प्रदर्शित किये जायेंगे।
24. जिलाधिकारी द्वारा समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य भी सुनिश्चित कराया जायेगा और इसके लिए कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय किया जायेगा। कार्य को निर्धारित विशिष्टियों तथा मानकों के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध ढंग से पूरा किया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर कार्यदायी संस्था उसके लिये उत्तरदायी होगी।
25. कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री/उपकरणों का क्रय सुसंगत स्टोर परचेज नियमों तथा आदेशों के अंतर्गत किया जायेगा।
26. यथावश्यक द्विरावृत्ति से बचने के लिए कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी भी करायी जाय।
27. अवमुक्त धनराशि का निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र नियोजन विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
28. कार्य से सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का हस्तांतरण कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की समाप्ति के पश्चात नियमानुसार सम्बंधित प्रशासकीय विभाग को किया जायेगा। संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा सृजित परिसम्पत्ति के रख-रखाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इस हेतु त्वरित आर्थिक विकास योजना से धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।
29. वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023- 17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की द्वितीय किश्त हेतु निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए जनपद/कार्यदायी संस्था द्वारा कार्य की वास्तविक लागत के अनुसार मांग की जायेगी। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।
30. प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित कार्य प्रावधानों को यथावत् मानते हुए किया गया है। मार्ग निर्माण की लम्बाई/चौड़ाई में परिवर्तन, प्रस्तावित क्रस्ट डिजाइन में संशोधन, स्वीकृत प्रायोजना के स्कोप में परिवर्तन आदि पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। प्रशासकीय विभाग द्वारा इस आशय का उल्लेख सम्बन्धित स्वीकृति आदेश में सम्मिलित किया जायेगा।
31. प्रश्नगत कार्य के लिये नियमानुसार लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि श्रम विभाग को भुगतान की जायेगी।
32. नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या: 60/2025/440/35-4-2025/35-4099/184/2023 (पार्ट-1) दिनांक 22 अप्रैल, 2025 में निहित व्यवस्था के अंतर्गत सीएमआईएस पोर्टल पर जियोटैगिंग के साथ पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा।

2- उपर्युक्त कार्यों पर होने वाला व्यय रू. **3000.00** लाख (रूपये **तीस करोड़** मात्र) को वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अनुदान संख्या-40 के **लेखाशीर्षक-5054-**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04- जिला तथा अन्य सड़के-337-सड़क निर्माण कार्य-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-शहरी क्षेत्रों में सड़कों के सुधार के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तंर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या:114/2026/611(1)/35-4-2026/35-4002(003)/49/2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण/ग्रामीण अभियन्त्रण/नगर विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, लखनऊ मंडल ।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ ।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
12- सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, लखनऊ।
14- अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।